

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/2233 /F-2016-04-01362/ब-4/चार,
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 28.03.2017

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर


विषय :- Public Financial Management System (PFMS) का क्रियान्वयन

---00---

केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत कोष प्रवाह एवं इसकी उपयोगिता की निगरानी सुनिश्चित करने हेतु Public Financial Management System (PFMS) के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार महालेखानियंत्रक कार्यालय से मार्गदर्शिका प्रेषित किया गया है। मार्गदर्शिका वित्त विभाग के Website cgfinance.nic.in पर उपलब्ध है, मार्गदर्शिका में एस. पी.एम.यू. यूजर के प्रकार तथा उनके दायित्व का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जिसमें केन्द्रीय योजना संचालित करने वाले विभाग को **Scheme Manager for State (Scheme wise)** तथा **State Dept. MIS User** नामांकित किया जाना है, जिसका अनुमोदन वित्त विभाग द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार प्रत्येक केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयन हेतु First level Agency का सृजन तथा अनुमोदन का कार्य State Scheme Manager द्वारा किया जावेगा। First Level Agency के रूप में राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारी को नामांकित किया जाना है। अतः इनके नामांकन संबंधी आवश्यक कार्यवाही भी विभाग द्वारा अपने स्तर पर पूर्ण कर ली जाय।

अतः अनुरोध है कि मार्गदर्शिका के निर्देश अनुसार '**Scheme Manager for State**' तथा '**State Dept. MIS User**' नामांकित कर नामांकन संबंधी आदेश तथा संलग्न प्रारूप में नामांकित अधिकारी की जानकारी वित्त विभाग को 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें

संलग्न - यथोपरि


(कमलप्रतीत सिंह)
विशेष सचिव

OK

Information for 'Scheme Manager for State'

01. Name
02. Official e-Mail ID
03. Phone No.
04. Mobile No.
05. Designation
06. Date of Birth
07. Hint Question :- City or Town where you were born
08. Answer :-

Information for 'State Dept. MIS User'

01. Name
02. Official e-Mail ID
03. Phone No.
04. Mobile No.
05. Designation
06. Date of Birth
07. Hint Question :- City or Town where you were born
08. Answer :-